

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1457

दिनांक 09 दिसंबर, 2025 / 18 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

मानव अंगों की तस्करी

+1457. श्री के. सी. वेणुगोपाल:

अधिवक्ता डीन कुरियाकोसे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने ईरान से जुड़े संगठित अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोहों से संबंधित मामले दर्ज किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तस्करी के शिकार पहचान किए गए पीड़ितों की संख्या, कार्य-प्रणाली तथा जाँच की वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पाँच वर्षों के दौरान देशभर में एनआईए द्वारा ऐसे/संबंधित कितने मामले राज्य-वार दर्ज किए गए हैं;

(घ) क्या विशेषकर मानव अंगों की तस्करी के उद्देश्य से मानव तस्करी की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि देखने को मिली है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस खतरे से निपटने के लिए कौन-कौन से ठोस उपाय किए गए हैं या प्रस्तावित हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): हां, एनआईए ने मानव अंगों की तस्करी से संबंधित एक मामला दिनांक 03.07.2024 को दर्ज किया है, जिसमें पहचाने गए 05 पीड़ित पर्यटक वीजा पर ईरान गए थे; और तेहरान, ईरान के अस्पतालों में प्रत्यारोपण हुआ था। इन अंगदाताओं को आर्थिक लाभ का लालच दिया गया था।

**लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1457, दिनांक 09.12.2025**

इस मामले में, आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत 4 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। फिलहाल मामले में आगे की जांच चल रही है।

(घ): राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रिपोर्ट किए गए अपराध सांख्यिकी को एनसीआरबी (NCRB) संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, 2019 से 2023 के दौरान, बचाए गए उन पीड़ितों की संख्या, जिनके अंगों को निकालने के उद्देश्य से तस्करी की गयी थी, निम्नानुसार है;

वर्ष	बचाए गए उन पीड़ितों की संख्या, जिनके अंगों को निकालने के उद्देश्य से तस्करी की गयी थी
2019	4
2020	0
2021	6
2022	17
2023	5

(ड): मानव तस्करी के अपराध को रोकने और उससे निपटने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, क्योंकि 'पुलिस' और 'सार्वजनिक आदेश' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। तथापि, भारत सरकार ने मानव तस्करी से निपटने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें शामिल हैं: -

- समय-समय पर जारी विभिन्न व्यापक परामर्शों के रूप में मानव तस्करी को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश प्रदान करके उनके प्रयासों को संपूरित करना।
- मानव तस्करी विरोधी इकाइयों के उन्नयन और स्थापना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- मानव तस्करी के मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए नवीनतम पहलों/विकासों के बारे में संवेदनशील बनाने की दृष्टि से, आवधिक आधार पर 'राज्य स्तरीय सम्मेलन' और 'न्यायिक बोलकूप (Judicial Colloquiums)' आयोजित करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना।

**लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1457, दिनांक 09.12.2025**

- सरकार ने 'एनआईए (संशोधन) अधिनियम, 2019' के माध्यम से एनआईए को भारत से बाहर घटित उन अनुसूचित अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति प्रदान की है, जिनमें भारतीय नागरिक अथवा भारतीय हित सम्मिलित होते हैं।
- इसके अतिरिक्त, मानव तस्करी से संबंधित अपराधों का अन्वेषण करने के लिए एनआईए के अधिदेश में विस्तार किया गया है। इस उद्देश्य हेतु, एनआईए में, 'मानव तस्करी-रोधी प्रभाग (एएचटीडी)', नामक विशिष्ट प्रभाग का गठन भी किया गया है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 'शक्ति सदन योजना' का कार्यान्वयन, जो तस्करी की शिकार महिलाओं सहित संकटग्रस्त महिलाओं के लिए 'एकीकृत राहत एवं पुनर्वास गृह' प्रदान करता है। वर्तमान में, समग्र देश में 407 'शक्ति सदन' कार्यात्मक हैं।

\*\*\*\*\*